संख्या-01/2018/97/22-1-2018-76/2017

प्रेषक,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2018

विषय- नव सृजित जनपद चित्रकूट में जिला कारागार हेतु पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 758/गो0(1)/29/पद सृजन/17/2018 दिनांक 05.01.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय जिला कारागार चित्रकूट हेतु निम्न तालिका में उल्लिखित 117 पदों का उनके सम्मुख अंकित संख्या व वेतनमानों में उनकी नियुक्ति तिथि से, जो इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व की नहीं होगी, सृजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र सं	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स/ लेवल	स्वीकृत पदों की संख्या
1	2	3	4
1	अधीक्षक	10	01
2	कारापाल	8	01
3	उप कारापाल	7	04
4	प्रधान बंदीरक्षक	4	18 (जिसमें रिजर्व हेतु 02 शामिल हैं)
5	रिजर्व प्रधान बंदीरक्षक	4	
6	महिला प्रधान बंदीरक्षक	4	
7	बंदीरक्षक	3	73 (जिसमें रिजर्व हेतु 02 शामिल हैं)
8	रिजर्व बंदीरक्षक	3	
9	महिला बंदीरक्षक	3	
10	चिकित्साधिकारी	10	02
11	फार्मासिस्ट	5	02
12	महिला नर्स	4	01
13	वार्ड ब्वाय (आउट सोर्सिंग से भरा जाएगा)	1	01 (आउट सोर्सिंग से)
14	वरिष्ठ सहायक	4	01
15	कनिष्ठ सहायक	3	02
16	लेखाकार	6	01
17	सहायक लेखाकार	5	01
18	शिक्षाध्यापक	5	01
19	महिला शिक्षक	5	01

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

20	बाल केयर टेकर (महिला हाता)	5	01
21	नाई (आउट सोर्सिंग से भरा जाएगा)	1	01(आउट सोर्सिंग से)
22	स्वच्छकार (आउट सोर्सिंग से भरा जाएगा)	1	03(आउट सोर्सिंग से)
23	चालक (उपलब्ध वाहन के अनुसार) नोट- वाहन चालक के पद तभी भरे जाएंगे जब वाहन की व्यवस्था उपलब्ध होगी।	2	02
	योग		117

2- उपर्युक्त पद धारकों को समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते जो भी नियमानुसार अनुमन्य हों देय होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के लेखाशीर्षक 2056-आयोजनेत्तर-101-जेलें-03-समस्त कारागार के अंर्तगत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-110 /दस-2018 दिनांक 19 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव

संख्या-01/2018/97**(1)/22-1-2018तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
4- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4
5- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in